# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ल संख्या : 17/452

1. मोती लाल आत्मज श्री काल्या जी जाति कीर ।
2. रामप्रसाद आत्मज श्री किशना जी जाति कीर ।
3. रामबिलास आत्मज श्री किशन जी जाति कीर ।
4. पांची बाई बेवा किशन जी जाति कीर निवासीगण पुराना भदाना बालाली के मंदिर के पास तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

**बनाम**

1. कंवर लाल आत्मज रामाजी जाति कीर निवासी पुराना भदाना वार्ड नम्बर 11 तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. मनभर बाई पुत्री रामाजी पत्नी ग्यारसी लाल जाति कीर निवासी इक़बाल चौक सकतपुरा कुन्हाडी, कोटा ।
3. प्रदीप कुमार तिवारी आत्मज इन्द्रकुमार जी जाति ब्राह्मण निवासी मकान नम्बर 01 दुर्गा नगर टीए कैम्प के पास पूनम कॉलोनी कोटा जंक्शन कोटा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।
5. नगर विकास न्यास जरिये सचिव, कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री विद्याशंकर गोस्वामी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 5 की ओर से ।
3. श्री चन्द्रमोहन शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 3 की ओर से ।

## निर्णय

दिनांकः 11.07.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.07.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212) के अन्तर्गत ग्राम भदाना तहसील लाडपुरा

ा कोटा की आराजी खसरा नम्बर 614 रकबा 0.73 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र
कर निवेदन किया कि उक्त आराजी पैतृक आराजी है जिसमें प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का
क हिस्सा निहित है । प्रार्थीगण अपने हिस्से की आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले
आ रहे हैं । अप्रार्थी कम 2 व 3 प्रोपर्टी के व्यवसाय से जुडे होने के कारण बिना विभाजन
करवाये ही भूखण्डों में विभाजन कर प्रार्थीगण को परेशान करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें
कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह बिना बंटवारे के उक्त वादग्रस्त आराजी में प्लानिंग नहीं करे कनवर्जन नहीं करावे, खुर्द–बुर्द नहीं करे व प्रार्थीगण को अपने हिस्से की आराजी के उपयोग व उपभोग में मदाखलत व मजाहमत नहीं करे ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधियों से करावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 13.07.2017 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.07.2017 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी का अभी तक पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है और तब तक उक्त भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हो जाता है तब तक अप्रार्थीगण उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द एवं प्लानिंग नहीं काटे नहीं तो प्रार्थीगण अपीलान्ट का वाद प्रस्तुत करना ही व्यर्थ हो जावेगा । प्रार्थीगण अपीलान्ट का प्रथमदृष्टया प्रकरण साबित था और सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी प्रार्थीगण अपीलान्ट के पक्ष में थी । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.07.2017 निरस्त फरमाया जाकर अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादग्रस्त आराजी पैतृक भूमि है जिसमें अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट दोनों का हक हिस्सा है । इस प्रकार उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है और संयुक्त खातेदारी की भूमि पर एक सहखातेदार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट

ज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 बहाल रखा दे ।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी पैतृक भूमि है जिसमें अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट दोनों का हक हिस्सा है इस प्रकार उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है । उक्त भूमि का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता अपनी बहस में मुख्य रूप से निवेदन किया है कि रेस्पोडेन्ट ने यदि दौराने वाद उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द कर दिया एवं प्लानिंग काट दी तो अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी और उसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी ।

10. चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में स्वत्व अधिकारों का निर्धारण तो मूल वाद के निस्तारण के समय होगा अभी अस्थायी निषेधाज्ञा की स्टेज पर केवल यही देखना है कि पक्षकारान को अपूर्णीय क्षति न हो ऐसी स्थिति में यदि रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द या प्लानिंग काट दी गई तो अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी । ऐसी स्थिति में हम उभय पक्ष अर्थात् अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट दोनों को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.07.2017 निरस्त किया जाता है । अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट दोनों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी की वर्तमान रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थित बनाये रखे ।

12. निर्णय आज दिनांक 11.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा